

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या - 251/2026
दायर दिनांक - 10.03.2026

उनवान

1. गोपाल पुत्र घीसा जाति-बलाई निवासी कोठिया तहसील-फूलियाकला जिला-भीलवाडा राजस्थान। _____ प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र भैरूलाल जाति-बैरवा निवासी-दोलतपुरा तहसील-फूलियाकला जिला-भीलवाडा राजस्थान।
2. मिश्रीलाल पुत्र प्रेमा जाति-बलाई निवासी कोठिया तहसील-फूलियाकला जिला-भीलवाडा राजस्थान।
3. काना पुत्र घीसा जाति-बलाई निवासी कोठिया तहसील-फूलियाकला जिला-भीलवाडा राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार साहब फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला-भीलवाडा राजस्थान।

_____ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री राहुल साहू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 06.05.2026

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोठिया पटवार हल्का कोठिया भू अभिलेख निरीक्षक अरवड़ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 235 व पुरानी 216 में आराजी नं 2067 कुल कीता 03 कुल रकबा 0.09है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठिया पटवार हल्का कोठिया भू अभिलेख निरीक्षक अरवड़ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 235 व पुरानी 216 में आराजी नं 2067 कुल कीता 03 कुल रकबा 0.09है0 भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड़ को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। विवादित सीमा मे आने वाले खातेदार को पक्षकारान नही बनाने की स्थिति मे, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में तथा राजहित प्रभावित होने की दशा मे, किसी पक्षकारान की मृत्यू हो जाने से पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकला, जिला भीलवाडा